कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

कमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2020–21/ दिनांक : 12.11.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,

विषय :– उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र भरने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश।

प्रसंग :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 9(4)(31)छात्र./सान्याअवि/2020–21/2482 दिनांक 11.11.2020 एवं इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.10.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 49275 दिनांक 19.08.2019 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में निर्धारित प्राथमिकता क्रम संख्या 01 से 17 श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही योजना का लाभ देय होगा के आदेश दिये गये थे।

उक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश दिनांक 19.08.2019 का अतिक्रमण करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए आदेश दिये जाते है कि कोरोना–19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए विद्यार्थी के पास अंकतालिका नहीं होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत प्राप्तांक का प्रावधान हटाया जाता है। साथ ही योजनान्तर्गत "पहले आओ पहले पाओ" **FIFO** के अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित, अग्रेषित, स्वीकृत एवं भुगतान के प्रावधान रहेंगें। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नः– सान्याअवि का आदेश दिनांक 11.11.2020 की प्रति।

www.rajsevak.com

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करे।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

E:\Group-B\Group B\Nafees\Post Matric\Letter.docx

छात्रवृत्ति
12.11.2020

16

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र
(ईमेल sjerajbudget@gmail.com)

क्रमांक-एफ 9(4)(26)छात्र./ अपिल प्रस्ताव / [illegible]/2019/ [illegible] 2652 जयपुर, दिनांक 11/11/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 49275 दिनांक 19.8.2019 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित प्राथमिकता क्रम संख्या 1 से 17 श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही योजना का लाभ देय होगा, के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 19.8.2020 का अतिक्रमण करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये आदेश दिये जाते हैं कि कोरोना-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये विद्यार्थी के पास गत वर्ष की अंकतालिका नहीं होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत प्राप्तांक का प्रावधान हटाया जाता है। साथ ही योजनान्तर्गत पहले ''आओ पहले पाओ'' FIFO के अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित, अग्रेषित स्वीकृत एवं भुगतान के प्रावधान प्रभावी रहेंगे। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

www.rajsevak.com